

  
**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT  
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2104/2026

Ramchandra S/o Chenna Ram, Aged About 26 Years, R/o Rotu,  
Police Station Jayal, District Nagaur Raj.  
Presently Lodged At District Jail Nagaur

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

---

For Petitioner(s) : श्री विजय विश्नोई

For Respondent(s) : श्री ललित किशोर सैन, लोक अभियोजक

---

**HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR**

**Order**

**23/03/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत **पुलिस थाना— सदर नागौर, जिला— नागौर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— **23/2026** अपराध अन्तर्गत धारा **8/15** स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम व धारा **318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2)** भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को धारा **8/15** एन.डी.पी.एस. एक्ट व धारा **318(4), 336(2), 338, 336(3), 340(2)** भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से तथाकथित रूप में बरामदशुदा अवैध मादक पदार्थ **9.399** किलोग्राम डोडा पोस्त चूरा व छिलका बरामद होना दर्शित किया गया है, जो कि वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आता है, जिससे धारा **37** एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक **31.01.2026** से अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा

समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना तथा इस तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त से बरामदशुदा मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा नहीं है जिससे धारा 37 एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में कोई प्रकरण पंजीबद्ध होना नहीं पाया गया है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 31.01.2026 से अभिरक्षा में है, प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **रामचन्द्र पुत्र चेनाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

**(PRAVEER BHATNAGAR),J**